123

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1– भैयाराम तनय भगवानदास यादव ,

2– हरीराम तनय भगवानदास यादव

निबासी ग्राम जुड़ावन , तहसील. जिला टीकमगढ़ म0प्र0

.....आवेदक

वनाम

म0 प्र0 शासन ..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 04/स्व0 पुनरीक्षण /2010–11 में पारित आदेश दिनांक 07/02/2011 से परिवेदित होकर कर रहे हैं।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदकगण के नाम से ग्राम जुड़ावन स्थित भूमि खसरा नंबर 854 रकवा 0.543 हैक्टर का ब्यवस्थापन अक्टूबर 1984 के प्रावधान के तहत तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 94/अ–19(4)/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 20/05/1985 के द्वारा किया गया था।

3– यह कि कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही, अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/02/2011 के द्वारा आवेदक की उपरोक्त भूमि मात्र इस आधार पर ब्यवस्थापन के करीव 26 साल बाद शासन में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया कि आवेदकगण ग्राम जुड़ावन के निबासी न होकर ग्राम बम्होरी मड़िया के निबासी हैं। जबकि ना तो इस बाद का बिवाद था कि आवेदकगण का वाद भूमि पर 1984 में दो फसली कब्जा नहीं है, ना ही किसी अन्य प्रकार का बिवाद था। आवेदकगण द्वारा अपना जबाब भी प्रस्तुत किया था, जिसे नजर अंदाज करके

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R591-II/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-2-16	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 04/स्व0 पुनरीक्षण/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 07/02/2011 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ धार 05 म्याद अधिनियम एवं धारा 48 भू0 रा0 संहिता का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया। 2— आवेदक के अधिवक्ता के ग्राहयता पर तर्क सुने, तर्कों से सहमत होकर अंतरिम आवेदनपत्र स्वीकार कर अपील समय सीमा में मान्य की गई। आवेदक के अनुसार, आवेदकगण के नाम से ग्राम जुड़ावन स्थित भूमि खसरा नंबर 854 रकवा 0.543 हैक्टर का ब्यवस्थापन 02 अक्टूबर 1984 के प्रावधान के तहत तहसीलदार टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 94/अ—19(4)/1985—86 में पारित आदेश दिनांक 20/05/1985 के द्वारा किया गया था। कलेक्टर द्वारा आवेदकगण को विधिवत साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही, अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 07/02/2011 के द्वारा आवेदक की उपरोक्त भूमि मात्र इस आधार पर ब्यवस्थापन के करीव 26 साल बाद शासन में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया कि आवेदकगण ग्राम जुड़ावन के निबासी न होकर ग्राम बम्होरी मड़िया के निबासी हैं। 3— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के नाम से उपरोक्त प्रकरण कमांक पर पटटा जारी किया गया था। उनके नाम से आदेश दिनांक तक वादभूमि, भूमि स्वामी हक में दर्ज रही। उनके द्वारा पटटा का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है। ब्यवस्थापन के 26 साल वाद प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर इस तथ्य पर बंटन निरस्त करना कि आवेदकगण ग्राम जुडावन	

(कृ.प.उ.)

R 591-पी/16 (टीकमगढ़)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	में निबास नहीं करते हैं, मेरे मतानुसार विधि विरूद्व है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की डिवीजन बैंच द्वारा 2011 रानि 273 कमला सिंह वनाम शासन एवं अन्य अनेक न्याय दृष्टांतों में ब्यवस्था प्रदान की है कि स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेने की अधिकतम अवधि 180 दिन पर्याप्त है। कलेक्टर द्वारा 27 साल बाद स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेकर बर्तमान निबास स्थान को आधार लेकर जो आवेदकगण का ब्यवस्थापन पटटा निरस्त किया है, वो विधि विरूद्व है। अतः कलेक्टर टीकमगढ़ आदेश दिनांक 07/02/2011 निरस्त कर तहसीलदार के प्रकरण कमांक 94/अ–19(4)/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 20/05/1985 वहाल करते हुये निर्देशित किया जाता है, कि प्रकरण की वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का नाम यथावत दर्ज किया जाबे। यह आदेश मात्र आवेदकगण द्वारा धारित भूमि पर ही लागू होगा, अन्य पर नहीं। प्रकरण का परिणम दर्ज कर दाखिल दफतर हो। सदस्य	